दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)

Room No.:308, 3rd Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

फाइल संख्या: आरबीसी/324/वि.प.(29)/2014/ दिनांक: 21/05/2014

पृष्ठांकन Endorsement

उप कुलसचिव (स्थापना) के दिनांक 16/05/2014 के नोट सं.Estab.II(i)/330/Misc./2009/12 के साथ सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी.जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 का दिनांक 01/05/2014 का **निबंध प्रतियोगिता का आयोजन** विषय से संबंधित पत्र विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

आनंद कु. सोनी
21/5/2014
(आनंद कुमार सोनी)
सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

सभी शिक्षकगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण - **द्वारा : सूचना पट्ट**

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
National Human Rights Commission
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली–110023 भारत
Manav Adhikar Bhawan, Block-C, GPO Complex,
INA, New Delhi-110023 INDIA
Fax : 91-011-24651329,
Telegraphic Address : HUMANRIGHT
E-mail : nhrcga@nic.in
Website : www.nhrc.nic.in

डॉ0 सरोज कुमार शुक्ल
सहायक निदेशक
दूरभाष : 011–24663310

कुलसचिव कार्यालय के लिए
For the Office of Registrar

दिनांक : 01.05.2014

सेवा में,

प्रो0 दिनेश सिंह
कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली–110007

विषय : निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

मान्यवर,

आपको विदित होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी स्थापना काल से ही भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। आयोग अपने इन दायित्वों के निर्वहन में सफल हो इसलिए यह आवश्यक है कि जन साधारण को संघ की राजभाषा में मानव अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाए।

इसी क्रम में आयोग द्वारा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने तथा हिन्दी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित चिंतकों, विचारकों एवं लेखकों के लिए **"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार"** विषय पर निबंध प्रतियोगिता के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित **नियमावली** का विवरण अलग शीट पर संलग्न किया जाता है।

आप से साग्रह विशेष अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय में कार्यरत **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों** से संबंधित प्राध्यापकों/विद्यार्थियों/शोधार्थियों के साथ–साथ अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करवाने का कष्ट करें ताकि वे इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता दे सकें।

आशा है राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में आयोग को आपका सहयोग अवश्य प्राप्त होगा।

भवदीय

(डॉ0 एस. के. शुक्ल)

संलग्नक : यथोपरि

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

द्वारा

निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

विषय : "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार"

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकारों संबंधी विभिन्न विषयों पर हिंदी में सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार" विषय पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए हिन्दी में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता की नियमावली से संबंधित अनिवार्य बातें नीचे दी जा रही हैं :

(i) प्रतियोगिता में केवल भारत के नागरिक ही हिस्सा ले सकते हैं।

(ii) प्रतियोगिता के लिए भेजे जाने वाले निबंध पूर्णतः मौलिक होने चाहिए तथा लेखक/लेखिका का **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)** तथा अन्य **पिछड़े वर्ग (OBC)** से संबंधित होना अनिवार्य है।

(iii) लेखक को आवेदन के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना होगा।

(iv) निबंध, पूर्णतः कम्प्यूटर से टाइप होना चाहिए तथा चार प्रतियों में अच्छी प्रकार से अलग-अलग Spiral Binding किया हुआ होना चाहिए। इनमें से 3 प्रतियों में लेखक का नाम तथा अन्य विवरण नहीं लिखा होना चाहिए, केवल एक प्रविष्टि पर लेखक के पत्र व्यवहार का पूरा पता पिन कोड सहित अवश्य लिखा होना चाहिए।

(v) प्रतियोगिता के लिए निबंधों को भेजने की अंतिम तिथि **30 जून, 2014** निर्धारित की गई है।

(vi) आयोग को प्राप्त निबंधों पर सर्वाधिकार (कॉपीराइट) उनके लेखक/लेखकों का होगा।

(vii) प्रतियोगिता के सभी विजेता प्रतिभागियों को एक समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा।

(viii) निबंध प्रतियोगिता हेतु **न्यूनतम शब्द संख्या 7500** निर्धारित की गई है।

(ix) प्रतियोगिता हेतु विजेताओं को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः **12,000/-, 8,000/- तथा 6,000/- रु0 का नकद पुरस्कार** प्रदान करने के साथ-साथ स्मृति चिह्न एवं शाल भी प्रदान किया जाएगा।

(x) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियाँ विचारणीय नहीं होंगी।

(xi) पुरस्कृत निबंधों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी तथा लेखक को पत्र के द्वारा भी सूचित किया जाएगा।

(xii) किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(xii) प्रतियोगिता हेतु निबंध को आयोग के **सहायक निदेशक (राजभाषा), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023** को भेजना होगा।

....